प्रारूप–3

भाग–II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्याः–FP/UK/ROAD/21726/2015

7–परियोजना / स्कीम की अवस्थिति	
(i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	टिहरी गढवाल
(iii) जिलावनप्रभाग	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	कौडिया क0सं0–12 में 0.35 है0, कौडिया क0सं0–13 में 0.98 है0, कौडिया क0सं0–14 में 0.9625 है0 एवं कौडिया क0सं0–15 में 0.70 है0 कुल–2.9925 है0 वन भूमि
8–पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	वन विभाग के स्वामित्व की भूमि
9–अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा	संलग्न है
(i) वन का प्रकार	आरक्षित वन भूमि
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.5
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	प्रस्ताव में संलग्न है
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	–
10–भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार
11–वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	आरक्षित वन भूमि के अन्दर
12–वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान मानव वन्य जीव का ब्यौरा	नही
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्यार्घरिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नही
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की सीमा से दस कि0मी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका और टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नही
(iv) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व हाथी गलियारे वन्यजीव उत्प्रवास के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की सीमा से एक कि0मी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका औरटिप्पणियां उपाबद्ध की जाए)	नही
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीवजन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां है, यदि है तो उसके ब्यौरे	नही
13–क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0सी0) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नही

14–पूर्वेक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका–टिप्पणियां दें	
(i) क्या भाग–1 में पैरा 6 और पैरा 7 में प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिये अति न्यूनतम है	भूमि की मांग न्यूनतम है
(ii)यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है	–
15–किये गये अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हॉ या नही)	नही
(ii)यदि हॉ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/व्यक्तियों के का नाम पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के विरूद्ध की गई कार्यवाही	अतिक्रमण नही किया गया है
(iii)क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हॉ या नही)	नही
16– क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i)क्षतिपूरक वनरोपण बढाने के लिये पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	सिविल एवं सोयम भूमि
(ii)अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें	संलग्न है
(iii)क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किये गये गैरवनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमायें संलग्न हैं	संलग्न है
(iv)रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हॉ/नही)	संलग्न है
(v)क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपरिव्यय	संलग्न है
(vi)क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में उप वन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न है (हॉ/नही)	हॉ
17–वनस्पति और जीव जन्तु पर प्रस्तावित क्रिया–कलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हॉ/नही)	हॉ
18–स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिये उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा एवं वनों की सुरक्षा की दृष्टि से मोटर मार्ग निर्माण से क्षेत्र की गश्त करने में सुविधा प्रदान होगी साथ ही क्षेत्र के आस–पास की नैलबागी बीट एवं सिंवालीपातल बीट में भी आसानी से आवागमन हो सकेगा। वनाग्निकाल में मोटर मार्ग निर्माण से वन कर्मियों को वनाग्नि रोकथाम कार्यों में सुविधा प्रदान होगी तथा वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा एवं अनुश्रवण आसानी से किया जा सकेगा। मोटर मार्ग निर्माण से तीन गावों की लगभग–1226 जनसंख्या को आवागमन की सुविधा प्रदान होगी। अतः वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत कौडिया वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान–नई टिहरी
दिनांक– 09-08-2017

(डी0कोकी रोसे)
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग, नईटिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी